न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 31/2024

अनवान :–

1. रामजीलाल पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. शीशपाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. मुकेश कुमार पुत्र दलीप जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. मन्जु पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
4. मोतीलाल पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
5. सन्तलाल पुत्र पतराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
6. जयसिह पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
7. अनिता पत्नी जयसिह जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
9. अधिशाषी अभियन्ता सी.ए.डी विभाग भादरा तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री कुलदीप खुडिया आविक्ता सायल
श्री विजयसिह कडवासरा, अभिभाषक, गैरसायल

निर्णय दिनांक : 05/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा देईदास के खाता संख्या 229/283 के खसरा न0 231/3 की 0.9230हैक खसरा न0 285 की 6.7510हैक खसरा न0 52 की 3.0100हैक कुल 10.674हैक भूमि के प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 154/146 के खसरा न0 176 की 0.0890हैक, खसरा न0 231/1 की 1.5300हैक खसरा न0 55/2 की 3.0220हैक खसरा न0 86/2 की 0.5560हैक खसरा न0 86/3 की 0.1900हैक खसरा न0 95 की 4.7550हैक , कुल तादादी 10.1420हैक एवं प्रार्थीगण संख्या 6 ,7 के रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 76/76 के खसरा न0 175/0.3540हैक , खसरा न0 231/2 की 1.9220हैक खसरा न0 54 की 0.3670हैक खसरा न0 75/2 की 1.5590हैक खसरा न0 76/3 की 1.5580हैक खसरा न0 94 की 4.4010हैक कुल 10.1610हैक भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रार्थीगण अपने खेत रोही मौजा देईदास के खसरा न0 231/3 में जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज में से खसरा न0 231/1 एव अप्रार्थी संख्या 6 ,7 की भूमि खसरा न0 231/2 में से होते हुए [illegible] एलनाबाद रोही से सीधा सीएडी विभाग द्वारा मंजुरशुद्वा रास्ता पूर्व से [illegible] उत्तर से दक्षिण होकर प्रार्थीगण अपने खेत में प्रवेश करते हुए [illegible] से हमेशा से आवागमन करते आ रहे थे किन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता बन्द कर रहे है प्रार्थीगण के [illegible] अन्य कोई सूविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थीगण सदामत से खसरा न0 231/1 व खसरा न0 231/2 की भूमि में से पश्चिमी साईड से उतर दक्षिण होकर अपने खेत में प्रेवश करते आ रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे थे।

प्रार्थीगण अपने खेत में गांव से चलकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के खसरा न0 231/1 ,231/2 में मजुरशुद्वा रास्ता सीएडी विभाग द्वारा पक्के खाले पर पुलिया का निर्माण नही होने के कारण प्रार्थी पूर्व से पश्चिम व उतर से दक्षिण चलकर प्रार्थीगण अपने खेत खसरा न0 231/3 में प्रवेश करता है प्रार्थीगण यह रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है रास्ते में जीतनी भूमि आती है उतनी भूमि अप्रार्थीगण की भूमि के चिपते हुए देने को भी तैयार है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देईदास के खसरा न0 231/3 में जाने के लिये अप्रार्थीगण की भूमि खसरा न0 231/1 मे 1–1 बिश्वा व खसरा न0 231/2 में 1– बिश्वा रास्ता पश्चिम साईड में उतर से दक्षिण स्वीकृत फरमावे।

प्रार्थीगण/सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गेरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण /गैरसायल संख्या 2 ता 4 ,7 को रजिस्टर सम्मन/नोटिस से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई अप्रार्थीगण संख्या 1 ,5 ,6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थीगण/सायलान के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया

प्रार्थीगण के खेत का रास्ता रोही मौजा देईदास के खसरा न0 231/3 में जाने के लिय अप्रार्थीगण की भूमि खसरा न0 231/1 ,231/2 में नही रहा है ना ही कभी चालू रहा है प्रार्थीगण के खेत का रास्ता गावं से दक्षिण से उतर चलने पर भादरसिह राजपुत के खेत में से फिर मांगेराम के खेत में सुविधाजनक व नजदीकी है तथा सुगम रास्ता भी है अप्रार्थीगण के खेत में से रास्ता सुगम नही है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खेत में से कभी भी आवागमन नही किया गया है ना ही है प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा न0 231/3 में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है।

प्रार्थीगण अपने खेत में जाने के लिये अप्रार्थीगण की भूमि मे से नही जाते है अन्य भादरसिह व मांगेराम के खेत में से होकर अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन करते है तथा मौका रिपोर्ट एक पक्षिय रूप से तैयार की गई है मौका रिपोर्ट तेयार करते समय अप्रार्थीगण को कोई सुचना नही दी गई है केवल उतरदाता को पेरशान करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थीगण को रास्ता पूर्व से उपलब्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण का जबाब शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण/सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण अपने खेत रोही मौजा देईदास के खसरा न0 231/3 में जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज में से खसरा न0 231/1 एव अप्रार्थी संख्या 6 ,7 की भूमि खसरा न0 231/2 में से होते हुये प्रार्थीगण ऐलनाबाद रोही से सीधा सीएडी विभाग द्वारा मंजुरशुद्वा रास्ता पूर्व से पश्चिम साईड चलकर उतर से दक्षिण होकर प्रार्थीगण अपने खेत में प्रवेश करते है इसी रास्ता से हमेशा से आवागमन करते आ रहे इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थीगण /सायलान उक्त रास्ता स्वीक[illegible]कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है रास्ते में जितनी भू[illegible] गाव से राशि देने के लिये तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:12 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी ब[illegible] में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण के खेत का रास्ता रोही मौजा देईदास

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के खसरा न0 231/3 में जाने के लिय अप्रार्थीगण की भूमि खसरा न0 231/1 ,231/2 में नही रहा है ना ही कभी चालू रहा है प्रार्थीगण के खेत का रास्ता गावं से दक्षिण से उतर चलने पर भादरसिह राजपुत के खेत में से फिर मांगेराम के खेत में सुविधाजनक व नजदीकी है तथा सुगम रास्ता भी है अप्रार्थीगण के खेत में से रास्ता सुगम नही है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खेत में से कभी भी आवागमन नही किया गया है ना ही है प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा न0 231/3 में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है।

प्रार्थीगण अपने खेत में जाने के लिये अप्रार्थीगण की भूमि मे से नही जाते है अन्य भादरसिह व मांगेराम के खेत में से होकर अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन करते है तथा मौका रिपोर्ट एक पक्षिय रूप से तैयार की गई है मौका रिपोर्ट तेयार करते समय अप्रार्थीगण को कोई सुचना नही दी गई है केवल उतरदाता को पेरशान करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थीगण को रास्ता पूर्व से उपलब्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात /मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसके अनुसार

रोही मोजा देईदास के खाता संख्या 229/283 के खसरा न0 231/3 की 0.9230हैक्ट खसरा न0 285 की 6.7510हैक्ट खसरा न0 52 की 3.0100हैक्ट कुल 10.674हैक्ट भूमि के प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 154/146 के खसरा न0 176 की 0.0890हैक्ट, खसरा न0 231/1 की 1.5300हैक्ट खसरा न0 55/2 की 3.0220हैक्ट खसरा न0 86/2 की 0.5560हैक्ट खसरा न0 86/3 की 0.1900हैक्ट खसरा न0 95 की 4.7550हैक्ट , कुल तादादी 10.1420हैक्ट एवं प्रार्थीगण संख्या 6 ,7 के रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 76/76 के खसरा न0 175/0.3540हैक्ट , खसरा न0 231/2 की 1.9220हैक्ट खसरा न0 54 की 0.3670हैक्ट खसरा न0 75/2 की 1.5590हैक्ट खसरा न0 76/3 की 1.5580हैक्ट खसरा न0 94 की 4.4010हैक्ट कुल 10.1610हैक्ट भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रार्थीगण का कथन है उनको अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थीगण/सायलान अप्रार्थीगण /गैरसायलान की भूमि के खसरा न0 231/1 व 231/2 में होकर अपनी खातेदारी भूमि मे प्रवेश करते है जिसे स्वीकृत करवाना चाहते है प्रार्थीगण को कथन मोका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार उचित प्रतीत होता है।

अप्रार्थीगण का विरोध है कि प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये भादरसिह , मांगेराम की भूमि में से रास्ता उपलब्ध है अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है अपार्थीगण का कथन उचित नही है क्योकि अप्रार्थीगण ने भादरसिह , मांगेराम के खेत में से रास्ता होने के सम्बध में कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह प्रमाणित हो की प्रार्थीगण को रास्ता पूर्व में उपलब्ध है मात्र कथन किया गया है कथनों के आधार पर अप्रार्थीगण का कथन स्वीकार योग्य नही है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि में से आवागमन किया जाता रहा है मौके पर भूमि खाली है तथा प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृतशुद्वा रास्ता 231/4 जो गैर मुमकिन नहर के किनारे पर पक्का रास्ता है से जुडता है। तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुचन के लिये खसरा न0 231/1 231/2 में रास्ता उपलब्ध हो सकता है तथा प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि तक [illegible] लिये रास्ता दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित अंकित किया गया है।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न0 231/3 में है और मन्जुरशुद्वा रास्ता खसरा न0 234/4 में नहर के साथ पक्का रास्ता है मन्जुरशुद्वा रास्ता व प्रार्थीगण के खेत के मध्य अप्रार्थीगण की भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न0 231/1 ,231/2 है जिसमें रास्ता स्वीकृत करने पर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मे पहुच सकते है।

अप्रार्थीगण ने जो रास्ता अंकित किया गया है वह रास्ता नहर /खाला से होकर गुजरता है जिसे स्वीकृत किया जाने पर नहर/खाला पर पुलिया का होना आवश्यक अन्यथा प्रार्थीगण की भूमि तक पहुचनें तक का रास्ता उपलब्ध नही हो सकता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि खसरा न0 231/3 तक पहुचन के लिये स्वीकृत रास्ता खसरा न0 231/4 से खसरा न0 231/1 व 231/2 में रास्ता स्वीकृत करने पर प्रार्थीगण अपनी भूमि में पहुच सकते है अन्य रास्ता जो अप्रार्थीगण के द्वारा अवगत करवाया गया है वह नहर /खाला के उपर से जाता है जिस पर पुलिया नही होने के कारण प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध नही हो सकता है अतः प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना विधिसम्मत है।

अतः साायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि रोही मौजा देईदास के खसरा न0 231/3 में पहुचने के लिये अप्रार्थीगण की भूमि रोही मौजा देईदास के खसरा न0 231/1 में 1—1 बिश्वा व खसरा न0 231/2 में 1—1 बिश्वा पश्चिम साईड में उतर से दक्षिण स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि प्रार्थीगण/सायलान अप्रार्थीगण/गैरसायलान की भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/2/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2024 / 130 दिनांक 05/02/25

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 31 सन 2024 निर्णय दिनांक 05/02/2025

अनवान :–

1. रामजीलाल पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. शीशपाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. मुकेश कुमार पुत्र दलीप जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. मन्जु पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
4. मोतीलाल पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
5. सन्तलाल पुत्र पतराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
6. जयसिह पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
7. अनिता पत्नी जयसिह जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
9. अधिशाषी अभियन्ता सी.ए.डी विभाग भादरा तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 31 / 2024 अनवानी रामजीलाल बनाम मुकेश में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि प्रार्थीगण की भूमि रोही मौजा देईदास के खसरा न0 231 / 3 में पहुचने के लिये अप्रार्थीगण की भूमि रोही मौजा देईदास के खसरा न0 231 / 1 में 1–1 बिश्वा व खसरा न0 231 / 2 में 1–1 बिश्वा पश्चिम साईड में उतर से दक्षिण स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि प्रार्थीगण / सायलान अप्रार्थीगण / गैरसायलान की भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:12 IST
Reason: SelfAttested